



बिहार सरकार

ई-मेल—arms.jeh.bih@gmail.com

# समाहरणालय, जहानाबाद ।



वेबसाइट—jehanabad.bih.nic.in

दूरभाष/फैक्स—06114-223142

ज्ञापांक— 128 / शस्त्र

(जिला शस्त्र शाखा)

दिनांक— 29-09-2020

## आदेश

जहानाबाद जिला अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु उपरांत उनके परिजन द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने एवं अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को जमा करने के लिए अनुरोध किया है, इस कार्यालय का ज्ञापांक 109/शस्त्र दिनांक 04.09.2020 द्वारा लिपिकीय चुकवश शस्त्र जमा करने का स्थान जहानाबाद थाना के जगह गन हाउस टंकित हो गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न प्रकार जमा करने का आदेश दिया जाता है।

| क्र 0 | मृत अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता  | अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु की तिथि | शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या, धारित शस्त्र का प्रकार एवं संख्या | यू0 आई0 एन0           | शस्त्र जमा करने का स्थान | शस्त्र जमाकर्ता का नाम एवं पता                                |
|-------|--|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---|
| 1     | 2  | 3                                | 4   | 5                     | 6                        | 7   |
| 1     | सुरेन्द्र कुमार,<br>पिता—स्व0 हृदय नारायण, हॉस्पिटल रोड, गौंधी मंदिर, थाना—जहानाबाद। | 14.03.2020                       | Licence no-<br>212/703/572<br>DBBL GUN No-<br>18219         | 051800027<br>77402014 | जहानाबाद थाना।           | संजय कुमार,<br>पिता—हॉस्पिटल रोड, गौंधी मंदिर, थाना—जहानाबाद। |

अतः निदेशानुसार आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17-(3) डी0 एवं आयुध नियम-2016 के नियम-47 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के आलोक में उपरोक्त वर्णित शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। एवं इस पर धारित शस्त्र को आर्म्स एक्ट की धारा-21 (1) के तहत जहानाबाद थाना, में जमा करने की स्वीकृति जाती है। उक्त आदेश को ज्ञापांक 109/शस्त्र दिनांक 04.09.2020 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद का आदेश दिनांक—19.07.2020, संचिका सं0—III-1/16)

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,  
जहानाबाद।

ज्ञापांक.....128...../शस्त्र, जहानाबाद, दिनांक.....29-09-2020

- प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- थाना अध्यक्ष, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- संबंधित शस्त्र जमाकर्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- जहानाबाद गन हाउस, जहानाबाद का सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, NIC जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- जिला आई0 टी0 प्रबंधक, जहानाबाद को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,  
जहानाबाद।